

EASTERN RAILWAY
Sealdah

No.E-22/310.7/Retirement.UPS /Pl. I

Date:22/04/2025

ALL Concerned


Sub : Pension Fund Regulatory and Development Authority
(Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension
System) Regulations, 2025

Ref : PCPO/E. Rly' s letter No-E.787/0/PEN/Policy/UPS dated:15.04.2025

The PCPO/E. Rly' s letter No- E.787/0/PEN/Policy/UPS dated:15.04.2025
(PCPO's Sl. No. 34/2025) along with Railway Board's letter no-2025/AC-II/21/9Part(2)/e
3493218 dated:30.03.2025 (RBA No- 10/2025) is forwarded for information ,guidance and
necessary action please.



DA:-As above.


(Sowrav Kumar Biswas)
Assistant Personnel Officer-I
For Sr. Divisional personnel Officer.
Eastern Railway , Sealdah.

 22/4/25

Eastern Railway
(Personnel Department)
17 N.S. Road, Kolkata-700001

No. E.787/0/PEN/Policy/UPS

Kolkata, dated 15.04.2025

ALL CONCERNED

As per Standard list

Sub: Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalisation of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025 – regarding.

Ref: Board's letter No. F(E)III/2025/UPS/1 dated 28.03.2025 (RBE No. 25/2025)

A copy of Railway Board's letter No. 2025/AC-II/21/9-Part(2)/e 3493218 dated 30.03.2025 (RBA No. 10/2025) on the above subject matter is enclosed herewith for information, guidance and necessary compliance.

Railway Board's letter dated 28.03.2025 (RBE No. 25/2025) as mentioned under reference was circulated under this office Sl. No. 28/2025.

DA: As above

(K.C. Das)
Dy. Chief Personnel Officer (NG)
fr. Pr. Chief Personnel Officer

Index No. 1058: Guidelines regarding detailed Standard Operating Procedure (SOP) on the migration of PRAN from NPS to UPS.



भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)



RBA NO. 10/2025

No. 2025/AC-II/21/9- Part(2)/ e 3493218

New Delhi, dated: 30.03.2025

General Managers,
All Zonal Railways/PUs

Sub:- Pension fund Regulatory and Development
authority(Operationalisation of Unified Pension Scheme under national
Pension System) Regulations -2025- regarding.

Ref:- Board's letter No. F(E)III/2025/UPS/1 dated 28.03.2025 (RBE No. 25/2025)

Kind attention is invited to Board's letter No. F(E)III/2025/UPS/1 dated 28.03.2025 enclosing circular on PFRDA's Gazette Notification No, PFRDA 12/01/0001/2023-legal dt.19.03.2025 regarding Operationalization Of Unified Pension Scheme Under National Pension System. As per these instructions, the employee covered under NPS shall have option to opt for UPS under the NPS scheme. The following instruction are issued for implementation.

I. Exercise of option:

- (1) The Forms listed as A1, A2, B2 and B6 in Schedule I, of the Notification circulated with the above letter as may be applicable, may be submitted by the eligible employee online through the CRA portal or physically to the Head of Office or DDO.
- (2) In case of online submission of Forms through the CRA portal, the CRA shall provide an acknowledgement to such employee and simultaneously forward the same to DDO for verification. The DDO shall update the records in CRA system after obtaining necessary details, from the Head of Office and forward the same to the PAO for its authorization in such system.
- (3) In case the employee is not able to exercise the UPS option through the CRA portal, such employee shall submit Form physically to the Head of Office directly or through DDO. In such cases, the Head of Office shall forward the option information to the DDO. The DDO shall update the records in the CRA system after obtaining necessary information received from the Head of Office and forward the same to PAO for its authorization in such system.
- (4) The eligible employee who does not exercise the UPS option under NPS within the timelines laid down shall be deemed to have opted to continue under NPS without UPS option.

II. Permanent Retirement Account Number (PRAN). -

- (1) The procedure for accepting the request of employees by DDOs to opt of UPS under NPS has been detailed under regulation 4 (Chapter III). An employee specified under clause (a) and (b) of sub-regulation (1) of regulation 4 of PFRDA's notification dated 19.3.2025 who has opted for UPS option under NPS by submitting Forms A1 or A2, as

may be applicable and whose application has been duly authorized by the concerned PAO, in the manner specified under the said regulation, shall be identified by a Permanent Retirement Account Number tagged to UPS.

(2) In respect of a person specified under clause (c) and (d) of sub-regulation (1) of regulation 4 and who has opted for UPS option under NPS by submitting Form B2 or B6, as applicable and upon due authorization by the concerned PAO, shall be identified by his erstwhile PRAN, tagged to UPS.

(3) The CRA shall transfer the individual corpus of UPS Subscriber falling under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 4, upon opting for UPS and after due authorization by the concerned PAO, to the PRAN tagged to UPS in such manner and within such timelines as may be determined by the Authority.

(4) UPS Subscriber may, in addition to his UPS account, have additional account under NPS (Tier I and Tier II) on a voluntary basis under All Citizen model.

(5) CRIS may develop an utility in IPAS to identify /flag the employee covered under NPS/UPS as the case may be, The Personnel office will flag the category as 'MAKER' based on options received physically or that advised by CRA online and PAO/Associate Accounts Office will confirm the same as "CHECKER". **This should be done by modifying the employee type under employee master on IPAS**

(6) It is re-iterated that **the tagging of employee under UPS in IPAS** is extremely important to ensure correct deduction and remittance of amount to NSDL and generation of correct Subscriber contribution file. **This tagging must be done concurrently on IPAS** which the case is being processed for tagging on CRA portal.

(7) The DDO will have to update employment details, including Employee Code/ID, Date of commencement of qualifying service, Current Basic Pay, Non-Practicing Allowance (NPA) (if applicable), and the scheduled date for the next increment which shall be approved by the PAO

(8) For all the employees who have been tagged on IPAS as 'UPS under NPS' , an individual contribution of 10% of the Basic Pay (including non practicing allowance, where applicable) and Dearness Allowance thereon matched by an equal amount towards contribution by the Central Government shall be credited to the individual PRAN of the UPS subscriber through the subscriber contribution file.

(9) The methodology followed for generation and uploading of the Subscriber Contribution File in the existing NPS scheme in IPAS shall be followed for the Subscriber Contribution File(SCF) of UPS subscribers also.

(10) The timelines for generation of SCF, uploading of SCF and remittance of the total contribution are detailed in the regulation 6(Chapter IV) of the referred guidelines . The same should be strictly adhered to.

III. Pool Corpus

(1) The Pool Corpus shall comprise of - (a) Additional central contribution of 8.5% the Basic Pay (including non practicing allowance, where applicable) and Dearness Allowance thereon for employees who have chosen UPS scheme (b) transfer of balance of the individual corpus of a subscriber as per regulation 19(3) and (c) any other contribution defined by the Central Government.

III. Budgeting and Accountal:

1. The Government contribution under UPS shall be budgeted /accounted for in the accounts

I/3121417/2025

heads introduced vide ACS No.13 (RBA 09-2025) enclosed.

2. CRIS may ensure introduction of new Account Head accordingly in IPAS and also separate schedules in Pay roll modules for employee/government contribution under UPS.

A detailed *Standard Operating Procedure (SOP)* on the migration process of PRAN from NPS to UPS is available on <https://www.npscra.nsdl.co.in/ups.php>

These instructions may be noted and notified to all concerned.

Signed by

Rajat Agarwal

Date: 20-03-2025 15:39:30

(Rajat Agarwal)
Jt. Director Finance (CCA)

Railway Board

Ph.No. 011-23047018

E mail ID: Rajat.agarwal91@gov.in

Copy to:

1. PFAs of all Zonal Railways/PUs
2. PCPOs of all Zonal Railways/PUs
3. MD/CRIS, GM/AIMS/CRIS
4. RBCC for uploading in the website (Accounts Compendium 2025)

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

आरबीए सं. 10/2025

सं.2025/एसीII/21/9-पार्ट (2)/ई 3493218

नई दिल्ली, दिनांक: 02.04.2025

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।

विषय: पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत
एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम-2025 के संबंध में।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 28.03.2025 का पत्र सं. एफ (ई)III/2025/यूपीएस/1
(आरबीई सं. 25/2025)

आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 28.03.2025 के पत्र संख्या एफ (ई)III/2025/यूपीएस/1 की
और आकृष्ट किया जाता है जिसके साथ पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की
दिनांक 19.03.2025 की अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए 12/01/0001/2023 विधि संलग्न है
जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना के संचालन से संबंधित है। इन
अनुदेशों के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन योजना
के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने का विकल्प होगा। इसके कार्यान्वयन के
निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जा रहे हैं।

1. विकल्प का चयन:

- (1) उपरोक्त पत्र के साथ परिपत्रित अधिसूचना की अनुसूची 1 में ए1, ए2, बी2 और बी6 के
रूप में सूचीबद्ध फार्म, जो भी लागू हो, पात्र कर्मचारी द्वारा सीआरए पोर्टल के माध्यम से

ऑनलाइन अथवा कार्यालय के प्रमुख या आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को भौतिक रूप से प्रस्तुत किए जाएं।

- (2) सीआर पोर्टल के माध्यम से फार्म ऑनलाइन प्रस्तुत करने के मामले में, सीआरए ऐसे कर्मचारियों को एक पावती देगा और साथ ही सत्यापन के लिए इसे आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को अग्रेषित करेगा। कार्यालय प्रमुख से आवश्यक विवरण प्राप्त हो जाने के पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारी सीआरए प्रणाली में रिकार्ड को अपडेट करेगा और इसे इस प्रणाली में प्रमाणीकरण के लिए वेतन एवं लेखा अधिकारी को अग्रेषित करेगा।
- (3) यदि कोई कर्मचारी सीआरए पोर्टल के माध्यम से एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन करने में असमर्थ है, तो ऐसे कर्मचारी सीधे कार्यालय प्रमुख अथवा आहरण एवं संवितरण अधिकारी के माध्यम से फार्म जमा करेगा। ऐसे मामलों में कार्यालय प्रमुख उनके विकल्प की जानकारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अग्रेषित करेगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय के प्रमुख से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के पश्चात सीआरए प्रणाली में रिकार्ड को अपडेट करेगा और उसे ऐसी प्रणाली में प्रमाणीकरण के लिए वेतन एवं लेखा अधिकारी को अग्रेषित करेगा।
- (4) जो पात्र कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना विकल्प का उपयोग नहीं करता है, तो उसके बारे में माना जाएगा कि उसने एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के बिना राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत जारी रखने का विकल्प चुना है।

II. स्थायी सेवानिवृत्ति लेखा संख्या (पीआरएएन)

- (1) राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा कर्मचारी के अनुरोध को स्वीकार करने की प्रक्रिया का उल्लेख विनियमन 4 (अध्याय III) में विस्तृत रूप से किया गया है। पीएफआरडीए की दिनांक 19.03.2025 की अधिसूचना के विनियमन 4 के उप-नियम (1) के खंड (क) और (ख) के अंतर्गत निर्दिष्ट कोई कर्मचारी जिसने फार्म ए1 या ए2, जो भी लागू हो के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प को चुना है और जिसका आवेदन संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा उक्त विनियमन के तहत निर्दिष्ट तरीके से विधिवत् रूप से अधिकृत किया गया है, उसे यूपीएस से टैग किया गया स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या द्वारा चिह्नित किया जाएगा।

- (2) विनियमन 4 के उप-नियम (1) के खंड (ग) और (घ) के तहत विनिर्दिष्ट व्यक्ति के संबंध में और जिसने फार्म बी2 या बी6 प्रस्तुत करकर राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुना है और संबंधित वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण किया गया है, उन्हें उसकी पहचान एकीकृत पेंशन से टैग किए गए उसके पूर्ववर्ती स्थायी सेवानिवृत्ति संख्या (पीआरएएन) द्वारा की जाएगी।
- (3) सीआरए उन यूपीएस अभिदाताओं के व्यक्तिगत कॉर्पस का अंतरण करेगा, जो विनियमन के उप-नियम (1) के खंड (क) के अंतर्गत आते हैं और जिन्होंने यूपीएस विकल्प का चयन किया है। यह अंतरण संबंधित संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) द्वारा उचित अनुमोदन के पश्चात यूपीएस से जुड़े पीआरएएन में किया जाएगा जिस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।
- (4) एकीकृत पेंशन योजना अभिदाता, इस एकीकृत पेंशन प्रणाली खाते के अतिरिक्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ऑल इंडिया सिटिजन मॉडल में स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस (टियर I और टियर II) के अंतर्गत अतिरिक्त खाता रख सकते हैं।
- (5) क्रिस, राष्ट्रीय पेंशन योजना/एकीकृत पेंशन योजना जैसा भी मामला हो, के तहत आने वाले कर्मचारियों की पहचान/चिह्नित करने के लिए आईपीएएस में एक उपयोगिता विकसित करे। कार्मिक कार्यालय भौतिक रूप से प्राप्त विकल्पों या सीआरए द्वारा ऑनलाइन दी गई सलाह के आधार पर श्रेणी को 'मेकर' के रूप में चिह्नित करेगा और वेतन एवं लेखा कार्यालय/सहायक लेखा कार्यालय इसकी लेखा 'चेकर' के रूप में इसकी पुष्टि करेगा। इसे आईपीएएस में कर्मचारी मास्टर के तहत कर्मचारी के प्रकार को आशोधित करके किया जाना चाहिए।
- (6) यह दोहराया जाता है कि आईपीएएस में एकीकृत पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों की टैगिंग की सही कटौती और राशि के एनएसडीएल प्रेषण की सुनिश्चित करने और सही ग्राहक अंशदान फाइल बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह टैगिंग जिस मामले को सीआरए पोर्टल पर टैग करने के लिए संशोधित किया जा रहा है, आईपीएएस पर आवश्यक की जानी चाहिए।
- (7) आहरण एवं संवितरण अधिकारी को रोजगार ब्यौरों को अपडेट करना होगा, जिसमें कर्मचारी कोड/आईडी, अर्हक सेवा शुरू होने की तारीख, वर्तमान मूल वेतन, गैर प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) (यदि लागू हो), और अगली वेतन वृद्धि की निर्धारित तारीख शामिल होगा जिसे वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- (8) एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस के रूप में टैग किए सभी कर्मचारियों के लिए मूल वेतन (गैर प्रैक्टिसिंग भत्ता सहित, जैसी भी मामला हो) का 10% और उस पर

महंगाई भत्ता का व्यक्तिगत योगदान होगा, केन्द्र सरकार द्वारा योगदान के बराबर राशि अभिदाता योगदान फाइल द्वारा यूपीएस अभिदाता के व्यक्तिगत पीआरएएन में जमा की जाएगी।

- (9) आईपीएस में मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना में अभिदाता अंशदान फाइल बनाने और अपलोड करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली एकीकृत पेंशन योजना अभिदाता की अभिदाता अंशदान फाइल (एससीएफ) के लिए भी अपनाई जाएगी।
- (10) एससीएफ के तैयार करने, एससीएफ को अपलोड करने और कुल अंशदान के प्रेषण की समय-सीमा का विस्तृत विवरण संदर्भित दिशानिर्देशों के विनियमन 6 (अध्याय IV) में विस्तार से दिया गया है। इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।

III. पूल कॉर्पस

- (1) पूल कॉर्पस में निम्नलिखित शामिल होंगे- (क) एकीकृत पेंशन योजना चुनने वाले कर्मचारियों के लिए मूल वेतन का 8.5% (जिसमें गैर प्रैक्टिसिंग भत्ता, जहां लागू हो शामिल है) अतिरिक्त केन्द्रीय अंशदान का और उस पर महंगाई भत्ता (ख) विनियम 19(3) के अनुसार एक अभिदाता के व्यक्तिगत कॉर्पस से शेष राशि का हस्तांतरण और (ग) केन्द्र सरकार द्वारा परिभाषित कोई अन्य अंशदान)

III. बजट कार्य का लेखा-जोखा

1. एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी अंशदान को अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या 13 (आरबीए 09-2025) के तहत प्रस्तुत लेखा शीर्षों में बजटित/लेखांकित किया जाएगा।
2. क्रिस आईपीएस में नए लेखा शीर्ष की शुरुआत को सुनिश्चित करे और एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी/सरकारी अंशदान के लिए पे रोल मॉड्यूल में अलग-अलग से अनुसूचियां भी सुनिश्चित करे।

पीआरएएन का राष्ट्रीय पेंशन योजना से एकीकृत पेंशन योजना में स्थानांतरण पर विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया <https://www.npscra.nsdl.co.in/ups.php> पर उपलब्ध है।

इन अनुदेशों को नोट किया जाए और सभी संबंधितों को अधिसूचित किया जाए।

ह.

(रजत अग्रवाल)

संयुक्त निदेशक, वित्त (सीसीए)

रेलवे बोर्ड

दूरभाष सं. 011-23047018

ईमेल आईडी: Rajat.agarwal91@gov.in

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
2. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
3. प्रबंध निदेशक/क्रिस, महाप्रबंधक/एआईएमएस/क्रिस
4. वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए रेलवे बोर्ड कंप्यूटर सेल (लेखा सार-संग्रह 2025)